

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 23¹ दिसम्बर 2021

विषय:- जनपद वाराणसी में कचहरी से आशापुर चौराहा होते हुए संदहा तक मार्ग (शहरी अ०जि०मा०) का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 9.325 कि०मी०) कार्य की प्रशासकीय-एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-681नि०/148-01नि०/2021-22, दिनांक 26-08-2021 एवं पत्र संख्या-690निशा०/कैबिनेट नोट/2021, दिनांक 16-11-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण के नये कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में कचहरी से आशापुर चौराहा होते हुए संदहा तक मार्ग (शहरी अ०जि०मा०) का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 9.325 कि०मी०) कार्य की आंकलित लागत ₹० 24189.47 लाख (रुपये दो अरब इकतालिस करोड़ नवासी लाख सैतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागत के सापेक्ष कुल ₹० 2500.00 लाख (रुपया पच्चीस करोड़ मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	आवदन का फाट		
				अनु०-58	अनु०-83	योग
1	वाराणसी प्रा०ख०	जनपद वाराणसी में कचहरी से आशापुर चौराहा होते हुए संदहा तक मार्ग (शहरी अ०जि०मा०) का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 9.325 कि०मी०) का कार्य।	24189.47	1970.00	530.00	2500.00

- (1) प्रायोजना में सर्व प्रथम भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायेगा।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

Sugreva Ram

31/5/22
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
वाराणसी

- (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (9) मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
- (11) प्रायोजनान्तर्गत मार्ग निर्माण में अतिक्रमित भवनों के ध्वंसीकरण हेतु अनुग्रह धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है, जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत भूमि एवं भवन अधिग्रहण हेतु समस्त विधिक पहलुओं पर आवश्यक होते हुए इनका अधिग्रहण न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
- (13) प्रायोजनान्तर्गत वन/सीवर, विद्युत पोलस तथा शिफ्टिंग ऑफ रितीजिएस स्ट्रक्चर की लागत ₹ 3738.52 लाख प्रस्तावित की गयी है। समस्त विधिक पहलुओं पर आवश्यक होते हुए इनका अधिग्रहण न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
- (14) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (15) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
- (16) प्रश्नगत मार्ग निर्माण हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (17) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (18) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (19) वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1328-प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चोकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अनुदान सं०-58 हेतु अशासकीय सं०-ई-8-3413-दस-20212022 व अनुदान सं०-83 हेतु अशासकीय संख्या-ई-8-3414-दस-20212022, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, 30प्र०।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र० प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र० प्रयागराज।
- 4- सम्यन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 5- मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- सम्यन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, 30प्र० शासन।
- 9- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र० शासन।
- 10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, 30प्र० शासन।
- 12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, 30प्र० शासन।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

Sigreeva Ram
31/5/22
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
वाराणसी